सर्वोच्च प्राथमिकता/ महत्वपूर्ण

संख्या 242 /अड़तीस–5–2015–01सम/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनॉक 06 अप्रैल, ~~मार्च~~ 2015

विषयः– "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजना का कियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिन–प्रतिदिन गिरते हुए भूजल के दृष्टिगत प्रत्येक वर्ष गर्मियों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आदि की अति विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेयजल समस्या के निराकरण हेतु अथक प्रयासों के बावजूद जनसामान्य के पेयजल की समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पाता है, जिससे जनता को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2– भू–जल संरक्षण एवं वर्षा जल के संचयन हेतु तालाबों, पोखरों, झीलों तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, उचित रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण आदि के साथ ही वर्षा जल संचयन हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पूर्व से ही विस्तृत कार्ययोजना बनाकर सुनियोजित रूप से कार्य किये जाने से पेयजल समस्या का समाधान काफी हद तक सम्भव हो सकता है।

3– उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान"** योजना के तहत भू–जल संरक्षण एवं वर्षा जल के संचयन के दृष्टिगत सुनियोजित रूप से कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय :–

(I) प्रत्येक जनपद में भू–जल के संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन हेतु अतिदोहित/ क्रिटिकल/ सेमी–क्रिटिकल विकास खण्डों को चिन्हित करते हुए वहां पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाय।

(II) इस हेतु जनपद स्तर पर **"जल बचाओ समिति"** का गठन निम्नानुसार किया जाय :–

(क) जिलाधिकारी–अध्यक्ष
(ख) मुख्य विकास अधिकारी–सदस्य
(ग) सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष–सदस्य
(घ) सम्बन्धित नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी–सदस्य
(ड़) अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग–सदस्य
(च) अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम–सदस्य
(छ) प्रभागीय वन अधिकारी–सदस्य
(ज) पर्यावरण विभाग/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी–सदस्य
(झ) उपायुक्त मनरेगा–सदस्य
(ट) जनपद के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/ अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)–सदस्य
(ठ) जनपद के समस्त उप जिलाधिकारीगण–सदस्य

(ड) जिला कृषि अधिकारी–सदस्य
(ढ़) जिला सूचना अधिकारी–सदस्य
(त) जिला पंचायतराज अधिकारी--सदस्य
(थ) जिला विकास अधिकारी–सदस्य सचिव
(द) योजना से सम्बन्धित किसी अन्य विभाग के अधिकारी को आवश्यकतानुसार समिति में विशेष आमंत्री के रूप में समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

(III) ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल व ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी को मिलाकर एक संयुक्त समिति गठित की जाए तथा उनके द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम के राजस्व अभिलेखों एवं स्थलीय सत्यापन के आधार पर तालाबों, पोखरों, झीलों व अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों की सूची बनाकर खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। सूची के आधार पर जल स्रोतों/ तालाबों आदि की सीमा का चिन्हांकन कराया जाए।

(IV) प्रथम चरण में मौके पर उपलब्ध तालाबों में जल भराव हेतु इन तालाबों के इनलेट्स को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही जनपद के सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय करके मनरेगा से करायी जाएगी। ऐसे तालाब जोकि मौके पर उपलब्ध हैं किन्तु अपने मूल आकार से छोटे हो गये हैं, उन्हें मनरेगा योजना के अन्तर्गत खुदाई कराने की कार्यवाही की जाए। ऐसे तालाब जोकि राजस्व अभिलेखों में हैं किन्तु मौके पर नहीं हैं अर्थात इन पर अतिक्रमण हो गया है, इस प्रकार के तालाबों को प्रथमतः जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अतिक्रमण से मुक्त होने के बाद 01 हेक्टयेर या इससे बड़े आकार के तालाबों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सस्टेनविलिटी मद से इनलेट तथा तालाबों की खुदाई का कार्य कराया जायेगा। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर जिला स्तरीय टेक्निकल कोआर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्कीम सैक्सनिंग कमेटी (एस0एल0एस0एस0सी0) के समक्ष विचार/ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। 01 हेक्टेयर से छोटे तालाबों के इनलेट तथा तालाबों को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही मनरेगा से करायी जाए। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जहॉ पर कार्य मनरेगा से हो, वहॉ पर नियमानुसार वृक्षारोपण की कार्यवाही भी अवश्य की जाए तथा महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सस्टेनेविलिटी मद से कराये जाने वाले समस्त कार्यों के प्रारम्भ में, मध्य में एवं अन्त में फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी करायी जाए तथा मनरेगा से कराये जाने वाले कार्यों का भी इसी प्रकार फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी प्रत्येक कार्य के प्रत्येक स्तर पर अर्थात प्रारम्भ में मध्य में और अन्त में करायी जाए।

(V) उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची एवं प्रस्तावित **कार्य** का प्रमाणीकरण किया जाय। जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी कार्यों हेतु एक वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता को भी नामित किया जाय। नामित अधिशासी अभियन्ता अपनी तकनीकी टीम के साथ **साप्ताहिक** भ्रमण करते हुए निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करके आवश्यक तकनीकी मार्ग–दर्शन प्रदान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि तालाबों के अन्तर्गत इनलेट/ आउटलेट का निर्माण कैचमेन्ट एरिया विश्लेषण के आधार पर प्राकृतिक जल स्रोतों से प्राप्त होने वाले जल संचयन को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये। नामित अधिशासी अभियन्ता साप्ताहिक स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(VI) सभी तालाबों, पोखरों, झीलों व अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों की डिजिटल डायरी बनायी जाए। इन स्थानों पर शिलापट्ट लगाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन पर कोई अनधिकृत कब्जा न होने पाए।

(VII) शहरों/ कस्बों में नगर निगम/ नगर पालिका परिषद स्तर पर प्राकृतिक जल स्रोतों के संचयन/ रिचार्ज के लिए सूची एवं कार्य योजना बनाकर जिला समिति को उपलब्ध कराई जाए।

(VIII) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदूषित जल, कूड़ा–कचरा, रासायनिक कचरा आदि इन जल स्रोतों में न गिरने दिया जाय।

(IX) उपरोक्त प्राकृतिक स्रोतों के किनारे उचित जगहों पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जाए।

4– उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए निम्नांकित समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन किया जाय :–

क्रमांक	कार्यवाही	समय सीमा
1	तालाबों, पोखरों, झीलों एवं अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों की सूची बनाना तथा इनकी सीमा का चिन्हांकन	30 अप्रैल, 2015
2	नामित अधिशासी अभियन्ता के निर्देशन में प्राक्कलन की तैयारी एवं स्वीकृति	15 मई, 2015
3	कार्य का प्रारम्भ	31 मई, 2015
4	कार्य को पूर्ण कराना/ वृक्षारोपण हेतु गड्ढों की तैयारी	31 जून, 2015
5	वृक्षारोपण हेतु पौधों की आवश्यकता का आकलन एवं उपलब्धता	15 जुलाई, 2015
6	वृक्षारोपण का कार्य	31 अगस्त, 2015

5– जिलाधिकारी इन कार्ययोजनाओं के कियान्वयन हेतु मनरेगा/ राज्य वित्त आयोग एवं अन्य सम्बद्ध विभागों की योजनाओं में जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि को युगपित (Dovetail) कर सकते हैं।

6– जिलाधिकारी स्वयं इस अभियान की सफलता हेतु 2 I (Innovate & Improve approach) का प्रयोग कर सकते हैं।

7– **"मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान"** योजना के तहत उपर्युक्तानुसार सुनियोजित रूप से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

8– सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त अभियान के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ प्रतिमाह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाये। इस अभियान के कियान्वयन की मासिक समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर की जायेगी।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– 242 (1)/ अड़तीस–5–2015, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।